

देवघर समाहरणालय  
(जिला भू अर्जन शाखा)

-: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या 955/भू अ0

दिनांक : 15/12/17

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम- मथुरा, थाना-मधुपुर, थाना सं०- 218, अंचल-मधुपुर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना देवघर-मधुपुर पथ उन्नयन परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-मथुरा, थाना-मधुपुर, थाना सं०-218, अंचल-मधुपुर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 1.90 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है-

क.स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	157	रैयती	बाड़ी-2	0.09	मदन मुर्मू पे० गन्दन मुर्मू सा० देह।	अर्जित	अर्जित	मौजा	मौजा
2	6	19	रैयती	बाड़ी-2	0.49	रामरुद्र सिंह पे० रूपनारायण सिंह 1/6 अंश वो रवीन्द्र नाथ सिंह वो सुवल प्र० सिंह वो उत्तम कुमार सिंह पे० हृदय नारायण सिंह 1/6 अंश वो नवल किशोर सिंह वो व्यास प्र० सिंह पे० पृथ्वी नाथ सिंह 1/6 अंश वो त्रिपुरारी प्र० सिंह वो मुरारी प्र० सिंह पे० राजेन्द्र प्र० सिंह 1/8 अंश वो सलेन्द्र नाथ सिंह पे० चन्द्र नारायण सिंह 1/8 अंश वो केशव कुमार सिंह पे० मिथिलेश कुमार सिंह पे० ओमप्रकाश सिंह पे० ओम प्रकाश सिंह पे० अखिलेश्वर सिंह 1/8 अंश समान वो शिवशंकर सिंह पे० टिकेत सिंह वो अजय कुमार सिंह पे० भोला प्र० सिंह 1/8 अंश समान सा० गड़िया।	दाग का अंश रकवा	दाग का अंश रकवा	गड़िया, नं० 212	गड़िया, नं० 212
3	6	153	रैयती	बाड़ी-2	0.23	तथैव।				
4	9	117	रैयती	धानी-3	0.06	मो० नासिरुउद्दीन मियां वो सुलेमान मियां पे० मो० खलील मियां वो निजाम उद्दीन मियां पे० मो० आसीन मियां वो सवीर मियां पे० अजीज मियां अंश समान सा० देह।				
5	8	112	रैयती	बाड़ी-2	0.04	तथैव।				
6	9	118	रैयती	बाड़ी-2	0.07	तथैव।				
7	12	154	रैयती	बाड़ी-2	0.23	सुरेश टुडू पे० घनश्याम टुडू वो केलु टुडू पे० दलु टुडू अंश समान सा० देह।				
8	20	15	रैयती	बाड़ी-2	0.10	भोला महतो पे० सोना महतो सा० गड़िया (ज०रै०)				
9	27	107	रैयती	धानी-2	0.01	मो० अख्तर वो मो० मेहताव वो मेहफूज पे० रमतुला मियां वो जीमल मियां वो विलाल मियां वो इवरा मियां वो इमरान मियां पे० मो० यासीन मियां वो कासीम				


2

						मियां पे० उमर अली मियां वो तैयब मियां पि० रफीक मियां वो सोहदरा बीबी पति सहादत मियां वो साविर मियां पि० रफीक वो नसीमा बीबी वो वानु बीबी वो फुलवान बीबी पे० युसुफ मियां वो मो० समीद मियां वो मो० खुशीद मियां पे० अहमद हुसैन मियां वो मो० असलम मियां वो सकीना वानो पे० गुलाम रसुल वो नाजगुन बीबी पति हनीफ अंश समान सा० देह।				
10	27	108	रैयती	धानी-2	0.08	तथैव।				
11	27	109	रैयती	धानी-2	0.05	तथैव।				
12	27	108	रैयती	धानी-2	0.02	तथैव।				
13	27	111	रैयती	धानी-3	0.10	तथैव।				
14	27	150	रैयती	बाड़ी-2	0.05	तथैव।				
15	36	18	रैयती	बाड़ी-2	0.28	रामजी दास बजेरिया पे० शिव दयाल दास बजेरिया कौम-अमुवाला साकिन सदर कलकत्ता मछुआ बजार-130 खातेदार जमाबंदी रैयत।				
कुल रकवा-					1.90					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

  
13/12/17  
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।

ज्ञापांक 983 / भू अ0, देवघर, दिनांक 15/12/17

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

  
13/12/17

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।